

प्रेषक,
निर्मला श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,
निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

व०सं०मु० का० (कम्प्यूटर)

08-8-14
मु० का०

582
11-8-14

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 06 जुलाई, 2014

विषय : वित्तीय वर्ष 2014-15 में ई-गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी योजनान्तर्गत प्रथम चार माह के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खादी बोर्ड के पत्रांक-34/खा०ग्रा०बो०/कम्प्यूटराइजेशन-गवर्नेन्स/2014-15, दिनांक 17 जुलाई, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को ई-गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी योजना हेतु लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू०. 10,00,000.00 (रू०. दस लाख मात्र) में से प्रथम चार माह हेतु धनराशि रू०. 3,00,000.00 (रू०. तीन लाख मात्र) की धनराशि निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के निवर्तन पर रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. व्यय की तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही स्वीकृत धनराशि का आहरण किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी०एम०-08 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद या उनके द्वारा मनोनीत अन्य किसी अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कंट्रोलर एवं आडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।

728
2014

6. प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-05 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनेत्तर-105-खादी ग्रामोद्योग-24-ई-गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में निहित व्यवस्थानुसार निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(निर्मला श्रीवास्तव)
अनु सचिव

संख्या : 545 (1)/59-2-2014-15(खा)/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उ०प्र० लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ०प्र०, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० इलाहाबाद।
9. गार्ड फाइल।
10. एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

N.S.W.
(निर्मला श्रीवास्तव)
अनु सचिव

12